

तीन मंजिल/दो मंजिल एवं प्रथमतल (भूतल) भवन हेतु चैकलिस्ट

क्र० स०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
1	भवन एक मंजिली है अथवा तीन मंजिल	तीन मंजिल
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 है। (4000 वर्ग मी० है)	20117.52 वर्ग मी० है।
3	क्या भवन में पार्किंग के लिए समुचित व्यवस्था है।	हाँ
4	क्या भवन में ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है।	हाँ
5	कक्षा मुख्य पहुँच मार्ग (एप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है।	12.00 मी० से अधिक है।
6	क्या भवन की छत आर०सी०सी० से बनी है।	हाँ
7	कक्षा छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी है।	नहीं लाई गयी है।
8	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है।	हाँ
9	क्या भवन की दीवारें/छत ठीक हैं।	हाँ
10	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठण्डे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है।	3.60 मी०
11	क्या विद्यालय में मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० ऊँचाई 4.5 मी० है।	हाँ
12	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 1.0 प्रतिशत है खिडकियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं है।	लकड़ी प्रयोग में लायी गई है।
13	क्या कक्षा न्यूनतम दो दरवाजे हैं।	हाँ
14	क्या कक्षा के दरवाजे की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी० है)	हाँ
15	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि०मी०, ट्रेड 300 मि०मी० तथा राइजर 150 मि०मी० है।	हाँ
16	क्या भवन के कक्षों में जाने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है।	हाँ
17	क्या भवन से मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है।	हाँ
18	क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशमन यंत्र लगे हैं।	हाँ
19	क्या भवन में विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टिकल ऊँचाई 2.5 मी० तथा होरिजेन्टल दूरी 1.2 मी० है।	भवन में विद्युत की लो वोल्टेज लाइन नहीं है।
20	क्या भवन में विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11.000 वोल्ट या अधिक)की न्यूनतम वर्टिकल ऊँचाई 3.70 मी० तथा होरिजेन्टल दूरी 2.0 मी० है।	भवन में विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11.000 वोल्ट या अधिक) की नहीं है।
21	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य इक्विपमेंट आई०एस०आई० मार्क सामग्री बदले गये हैं।	नई विद्युत वायरिंग की गयी है।

प्रमाणित किया जाता है कि सेंट जॉन्स स्कूल, आगरा रोड, फिरोजाबाद। भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 एवं तत्सम्बन्धी नियमों में उल्लेखित बिन्दुओं के अधीन प्रथम दृष्टया भूकम्प निरोधी है।

14/16
 सहायक अभियन्ता
 प्राथमिक अभियन्ता के हस्ताक्षर
 विभागाध्यक्ष
 विभाग व मुहर।
 फिरोजाबाद.